प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 08.06.2024

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 06.06.2024 को थाना लिंकरोड पर वादी मनोज कुमार पुत्र श्री सत्यपाल सिहं निवासी जलालपुर, गौतम बुध्द नगर के द्वारा तहरीर दी गई कि वादी की मोटर साइकिल अज्ञात व्यक्ति द्वारा कम्पनी के बाहर से चोरी कर ली गई है। तत्काल थाना लिंकरोड पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट, सीसीटीबी फुटेज, मुखबिर खास की सूचना के आधार पर व सर्विलांस टीम की मदद से घटना का सफल अनावरण करते हुए दिनांक 08.05.2024 को उक्त घटना में संलिप्त 03 अभियुक्त 1.संदीप पुत्र प्रदीप निवासी किराएदार रामविलास के मकान में कड़कड़ गांव थाना लिंक रोड गाजियाबाद मूल पता ग्राम झलोकर थाना कुरावा जिला हमीरपुर उम्र 28 वर्ष, 2.राहुल पुत्र सुनील निवासी टंकी वाली गली चक्की आटा के पास कड़कड़ मॉडल थाना लिंक रोड गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष, 3. सोनू पुत्र मुख्तार अली निवासी ग्राम बेलना थाना किशनगंज जिला किशनगंज बिहार व वर्तमान पता किराएदार जाहिद के मकान में मैन रोड महाराजपुर थाना लिंक रोड गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष को भारद्वाज कट थाना लिंक रोड क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से चोरी की 02 मोटर साइकिल बरामद हुई। अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. संदीप पुत्र प्रदीप निवासी किराएदार रामविलास के मकान में कड़कड़ गांव थाना लिंक रोड गाजियाबाद मूल पता ग्राम झलोकर थाना कुरावा जिला हमीरपुर उम्र करीब 28 वर्ष।
2. राहुल पुत्र सुनील निवासी टंकी वाली गली चक्की आटा के पास कड़कड़ मॉडल थाना लिंक रोड गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष।
3. सोनू पुत्र मुख्तार अली निवासी ग्राम बेलना थाना किशनगंज जिला किशनगंज बिहार व वर्तमान पता किराएदार जाहिद के मकान में मैन रोड महाराजपुर थाना लिंक रोड गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः

चोरी की 02 मोटर साइकिल

अभियुक्तगण उपरोक्त का अपराधिक इतिहासः-

- अभियुक्त संदीप उपरोक्त के विरुध्द थाना लिंकरोड पर चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत है।
- अभियुक्त राहुल उपरोक्त के विरुध्द थाना लिंकरोड पर चोरी के 02 अभियोग, 01 अभियोग आर्म्स एक्ट का पंजीकृत है।
- अभियुक्त सोनू उपरोक्त के विरुध्द थाना लिंकरोड पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीमः

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा फर्जी तरीके से धोखाधडी कर फ्लैट की रजिस्ट्री करा लेने वाला अभि0 गिरफ्तार।

दिनांक 07-07-2023 को वादी राजबहादुर पुत्र सुमन्त सिंह ने थाना नन्दग्राम पर सूचना दी कि अभि0 द्वारा फर्जी तरीके से धोखाधड़ी कर उनके फ्लैट की रजिस्ट्री अपने नाम करा ली। घटना का संज्ञान लेते हुए वादी की तहरीर के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया सभी टीमों द्वारा सर्विलांस व लोकल इनपुट के माध्यम से दिनांक 08-06-2024 को अभियुक्त पुष्पेन्द्र जैनन पुत्र स्व0 जयचन्द जैन निवासी म0नं0-16 रन्जीतपुरी थाना सदर मेरठ केण्ट जनपद मेरठ को एलटी पुल के नीचे संजय नगर से गिरफ्तार किया गया।अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता---

पुष्पेन्द्र जैन पुत्र स्व0 जयचन्द जैन निवासी म0नं0-16 रन्जीतपुरी थाना सदर मेरठ केण्ट जिला मेरठ।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभि0 से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मेरे द्वारा कोरोना काल में सोसाइटियों में खाली पड़े फ्लैटों को निशाना बनाते हुए अपने साथियो के साथ मिलकर फ्लैटों को किराये पर लिया जाता था तथा मुझे कोर्ट कचहरी के कामों की अच्छी जानकारी होने के कारण मैं फ्लैट के मूल बैनामा हासिल कर लेता था तथा कूटरचित बैनामा तैयार कर अपने सह अभियुक्तों को फ्लैट के फर्जी मालिक बनाकर हम लोगों द्वारा उक्त फ्लैटों पर लोन लिया था जिसके लिए अपने साथियों के फर्जी कागजात तैय़ार कर फ्लैट मालिक बनाकर बैंक में फर्जी खाता खुलवाया तथा उक्त फर्जी खाते से धन का स्थानान्तरण विभिन्न सैडो कम्पनियों में कर कैश के रूप में धन प्राप्त कर आपस में बँटवारा किया। इस प्रकार राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में फ्लैटों पर करोड़ से अधिक की धनराशि के लोन लेकर आपस में पैसे बाँट लिये।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास—

अभि0 पुष्पेन्द्र जैन के विरुद्ध थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद पर 02 अभियोग धोखाधड़ी/फर्जीवाड़ा व थाना सिविल लाइन्स व थाना मुण्डाली जनपद मेरठ पर एक – एक अभियोग धोखाधड़ी/फर्जीवाड़ा का पंजीकृत है। अभि0 पर कुल 04 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम---

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।